

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर  
सिटी

पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क्र० सं०	प्रा०पत्रसं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	42/24	2024/103	04.12.2024	सरकार बनाम मनोज	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :- सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 42/2024 (2024/103)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।  
- आवेदक

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्री प्रकाश (विजेता) मैसर्स होटल आगमन यूनिटीज गंगापुर सिटी निवासी गंगापुरसिटी 322201.
2. अवनीश कुमार पुत्र श्री विष्णु लाल गुप्ता (प्रोपराईटर) मैसर्स होटल आगमन यूनिटीज गंगापुर सिटी निवासी गंगापुरसिटी 322201।

- अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 ( ) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अन्तर्गत दिनांक 31.05.2024 को 02.00 पी.एम पर मैसर्स होटल आगमन, यूनिटी प्लाजा, स्टेशन रोड गंगापुर सिटी पर पहुंचा। मौके पर होटल/संस्थान निरीक्षण करने पर पाया कि सब्जी बनाने में प्रयुक्त किये जा रहे Parinner 1 kg वजनी खरीदकर उसकी कीमत 300/- रुपये विक्रेता श्री मनोज कुमार को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री प्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म से हुए की प्रतियों एवं कर्व रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मनोज कुमार ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म से हुए की एक प्रति विक्रेता श्री मनोज कुमार को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म स 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा । किलोग्राम Panner को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्तखरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर कर 20 की बालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयस्टाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर 20 बूंदे फार्मेलीन प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच-3306 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच 3306 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी  
1 Page

ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ. की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर धोपुर के पत्र क्रमाक एफएसएसए/2024/604 दिनांक 01 07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट से एलएस/2360/एक्ट/2024/2305 दिनांक 14.06 2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Panner Substandard होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर Substandard प्रकृति का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ पनीर Substandard प्रकृति का विक्रय किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।


अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं

होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का  
रुख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन  
किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से  
एलएस/2360/एक्ट/2024/2305 दिनांक 14.06 2024 निम्नानुसार है:-

**Government of Rajasthan**  
**STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY**  
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Setlhi Colony, Jaipur-302001

**FORM-VII A**  
अभियुक्त अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं  
मुख्य विफिल्टा एवं रसायन अधिकारी  
सवाई माधोपुर

  
INABL  
TC 8944

Report No. L.S. / 2360 / Act / 2024 / 2305  
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

Date: 14-06-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Paneer" bearing Code number and Serial number H-3306 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 04-06-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:  
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.16 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 11-06-2024 to 14-06-2024 and the result of its analysis is given below.

**Summary Report:-**

(1) Sample description :- Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.  
(2) Physical appearance :- White coloured soft solid material.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food
1.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 322016	58.14 %	Not more than 60.0%
2.	Fat content of the dry matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 1342016	31.18 %	Not less than 50.0%.
3.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 1222016	Negative.	Negative.
4.	Test for added Sugar.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 1212016	Negative.	Negative.
5.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 1242016	Negative.	Negative.
6.	Test for Neutralizer.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 12.11.2016	Negative.	Negative.
7.	B.R. Reading at 40.0°C of extracted fat.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 1332016	2.3	40.0 to 44.0 (Milk-fat)
8.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 32-2016	Absent.	Absent.

Opinion-The sample of "Paneer" bearing Code No. and Sr. No. H-3306 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.


Signed this 14<sup>th</sup> day of June 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM  
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY  
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,  
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

शुचिता अग्रवाल  
Food Analyst  
(Authorized Signatory)  
**SHUCHITA AGRAWAL**  
FOOD ANALYST, RAJASTHAN  
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY  
JAIPUR, RAJASTHAN

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर  
Substandard प्रकृति का होना पाया गया है। तदपि गुणावगुण पर सुनवाई

  
जयपुर सिटी  
3 | Page

उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ पनीर Substandard प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रुपये (अक्षरे-पचास हजार रुपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210-04-800-03-00-25% STATE SHARE WHICH RECEIVED AGAINST LICENCE FEE में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी